



HAMIRPUR POLICE



थाना बिवार

दिनांक-04.09.2021

अदद अवैध तमंचा एवं कारतूस के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बिवार पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बउआ पुत्र जगत सिंह नि० ग्राम अतरार थाना बिवांर जनपद हमीरपुर उम्र 32 वर्ष को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं 209/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। उपरोक्त अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 05/18 धारा 147/148/149/307 भादवि
2. मु०अ०सं० 98/2020 धारा 386/323/504/506 भादवि
3. मु०अ०सं० 130/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
4. मु०अ०सं० 49/2020 धारा 110 जी सीआरपीसी
5. मु०अ०सं० 140/2020 धारा 2/3 गैग० एक्ट
6. मु०अ०सं० 204/21 धारा 323/504/506 भा०द०सं०
7. मु०अ०सं० 209/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी का विवरण

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० श्री दीपक कुमार
- 2 का० छोटेलाल

